सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

पौष 30, शुक्रवार, *शाके* 1944-जनवरी 20, 2023
Pausa 30, Friday , Saka 1944- January 20, 2023

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो ,परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी ,विज्ञप्तियां आदि।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 16, 2023

संख्या जविप्रा/उपा./जोन-8/2022/डी-92 :-जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जयपुर मास्टर विकास योजना-2025 जयपुर विकास प्राधिकरण की 60वीं बैठक दिनांक 05.09.2011 के द्वारा अनुमोदित हो कर दिनांक 06.09.2011 से लागू किया गया है तथा जोनल विकास योजना-10 जयपुर विकास प्राधिकरण की 64वीं बैठक दिनांक 22.05.2018 के द्वारा लागू किया गया है।

प्रार्थी मुकुन्द गोयल, मोहित फार्मस प्रा.लि. एवं मैसर्स मोहित रिसोर्ट प्रा.लि. जरिये निदेषक श्री मुकुन्द गोयल पुत्र श्री राधेष्याम गोयल को ग्राम गणपतपुरा तहसील सांगानेर में स्थित खसरा नम्बर 110/1, 111/1, 111/2, 530/11 (पुराना खसरा नम्बर 113/3) कुल क्षेत्रफल में से 4783.00 वर्ग मीटर भूमि का एकल भूखण्ड ले-आउट जारी करने के प्रकरण में बीपीसी (एलपी) की 326वीं बैठक दिनांक 20.10.2022 के कार्यवाही विवरण के अनुसार जविप्रा की अनुमोदित योजना षिव एनक्लेव में सुविधा क्षेत्र के भूखण्ड को जोनल विकास योजना-10 तैयार करते समय पब्लिक सेमी पब्लिक भू-उपयोग अंकित किया गया था। किन्तु जोनल विकास योजना-10 में सहवन से उक्त सुविधा क्षेत्र की भूमि का अंकन सही जगह न होकर प्रष्नगत भूमि पर पब्लिक सेमी पब्लिक भू-उपयोग दर्षा दिया गया।

प्रष्नगत भूमि का भू-उपयोग मास्टर विकास योजना-2011 व 2025 अनुसार आवासीय दर्षित है। जोनल विकास योजना-10 के अनुसार प्रष्नगत भूमि का भू-उपयोग पब्लिक सेमी पब्लिक एवं आंषिक आवासीय दर्षित है। बीपीसी (एलपी) की 326वीं बैठक दिनांक 20.10.2022 में लिये गये निर्णय अनुसार आवासीय भू-उपयोग किये जाने के क्रम में दिनांक 19.11.2021 को सार्वजनिक विज्ञप्ति का प्रकाषन किया गया एवं निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुये है। माननीय अध्यक्ष महोदय जविप्रा से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में जविप्रा अधिनियम-1982 की धारा 25(1) के अन्तर्गत यह अधिसूचित किया जाता है कि जोनल विकास योजना-10 में सहवन से पब्लिक सेमी पब्लिक भू-उपयोग में दर्षित प्रष्नगत भूमि का भू-उपयोग आवासीय किया जाना है।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 05.01.2023 को जारी की गयी।

सचिव
जविप्रा, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।